प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 24.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा भारत नेपाल सीमा दीपनगर घाट गुलरिया पर कवच आउटपोस्ट का लोकार्पण किया गया

आज दिनांक 24.11.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा विधि विधान से पूजन करके भारत नेपाल सीमा दीपनगरघाट गुलरिया पत्थर शाह स्थित नवनिर्मित कवच आउटपोस्ट (थाना तिकुनिया) का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी निघासन, प्रभारी निरीक्षक, थाना तिकुनिया व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण, एस0एस0बी0 के अधिकारी/कर्मचारीगण तथा क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति तथा स्थानीय जनता उपस्थित रही। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने उद्बोधन के माध्यम से समस्त क्षेत्रीय संभ्रान्त व्यक्तियों एवं स्थानीय जनता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया तथा यह अपेक्षा की गई कि नवनिर्मित कवच आउट पोस्ट में आने वाले समय में अपनी सार्थकता को सिद्ध करेगी तथा कवच आउट पोस्ट द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर के सीमा पर होने वाली तस्करी एवं अन्य अनैतिक व्यापार व आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम में काफी मदद मिलेगी एवं सुरक्षा के दृष्टिगत भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले संदिग्ध लोगो पर नजर रखी जायेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भारत नेपाल राष्ट्र की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के संबंध में महोदय द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये।

उक्त कवच आउट पोस्ट पर नियुक्त पुलिस कर्मियों हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्न दिशानिर्देश दिये गये है:-

1.सीमा पर स्थित मोहना नदी में चलने वाले यात्री नावों के नागरिकों का सत्यापन किया जायेगा।

2.स्थानीय नागरिकों को सी प्लान के तहत जोड़ा जायेगा जिससे महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी।

3.कवच आउट पोस्ट पर नियुक्त पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय एस0एस0बी0 व वन विभाग कर्मियों से समन्वय स्थापित करके प्रभावी गस्त एवं निगरानी की जायेगी।

4.थाना/कवच आउट पोस्ट पर नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पड़ोसी नेपाल राष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में नियुक्त अपने अपने काउन्टर पार्ट/समरैंक पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर महत्वपूर्ण/संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान किया जायेगा। जिससे संदिग्धों की पहचान/कार्यवाही में मदद मिल सकेगी।

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 24.11.2023 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा 02 नफर वारन्टी अभियुक्तों जयनारायन पुत्र हरद्वारी नि0 ऊंचागाँव थाना खमरिया जनपद खीरी एवं बलराम पुत्र हरद्वारी नि0 ऊंचगाँव थाना खमरिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही करके अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण-

1.बलराम पुत्र हरद्वारी नि0 ऊंचगाँव थाना खमरिया जनपद खीरी उम्र करीब 30 वर्ष (वारंट वाद संख्या 555/23 मु0अ0स0 387/22 धारा 323/504/506/307 भा0द0वि0 थाना ईसानगर)

2.जयनारायन पुत्र हरद्वारी नि0 ऊंचागाँव थाना खमरिया जनपद उम्र करीब 42 वर्ष (वारंट वाद संख्या 555/23 मु0अ0स0 387/22 धारा 323/504/506/307 भा0द0वि0 थाना ईसानगर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रामशेष यादव थाना खमरिया

2.हे0का0 अरुण कुमार तिवारी थाना खमरिया

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध शराब के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही, 240 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद करके 12 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण, परिवहन/बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्गदर्शन व थानाध्यक्ष ईसानगर नेतृत्व में थाना ईसानगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.11.2023 को ग्राम रामलालपुरवा मजरा चपकहा से अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 12 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 240 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया। साथ ही 50,000 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना ईसानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.बच्चू कंजड़ पुत्र स्व0 बुद्धा नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
2.मनोहर कंजड़ पुत्र स्व0 बाबू नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
3.गया प्रसाद पुत्र सम्बारी नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
4.छैलू पुत्र ढोड़े नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
5.विमला देवी पत्नी गोपाल कंजड़ नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
6.रिंकी देवी पत्नी छोटेलाल नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
7.ऊषा देवी पत्नी दिलीप कंजड़ नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
8.कविता देवी पत्नी मंगरा कंजड़ नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
9.सीमा कुमार पुत्री केशव कंजड़ नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
10.दीना देवी पत्नी दीनदयाल नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
11.रेखा देवी पत्नी स्व0 छोटे कंजड़ नि0 रामलालपुरवा डेरा मजरा चपकहा थाना ईसानगर जिला खीरी
12.भल्लर पुत्र होली गौतम नि0 स्वर्गलोक मजरा रामलोक थाना ईसानगर जिला खीरी

बरामदगीः-
1.240 ली0 कच्ची नाजायज शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद व 50000 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना ईसानगर जिला खीरी
2.उ0नि0 सत्यप्रकाश तिवारी थाना ईसानगर जिला खीरी
3.हे0का0 राजेश गौतम थाना ईसानगर जिला खीरी
4.हे0का0 तिलेश्वर सिंह यादव थाना ईसानगर जिला खीरी
5.का0 अक्षय राणा थाना ईसानगर जिला खीरी
6.का0 राहुल कुमार थाना ईसानगर जिला खीरी
7.आ0का0 राहुल यादव आबकारी क्षेत्र धौरहरा
8.आ0का0 वीरेन्द्र सोनकर आबकारी क्षेत्र धौरहरा
9.का0 धीरेन्द्र पाल सिंह थाना ईसानगर जिला खीरी
10.का0 अंकित चौधरी थाना ईसानगर जिला खीरी
11.म0का0 अर्चना भाटी थाना ईसानगर जिला खीरी
12.म0का0 सोनिया सागर थाना ईसानगर जिला खीरी
13.म0का0 प्रियंका भाटी थाना ईसानगर जिला खीरी

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त अंकित पुत्र भारत को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित पुत्र भारत निवासी नसीमाबाद थाना नीमगांव जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 401/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर अभियुक्त किशोरी पुत्र तुलसी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 23.11.2023 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त किशोरी पुत्र तुलसी निवासी अखटी थाना धौरहरा जनपद खीरी से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 766/2023 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 90 लीटर अवैध शराब बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **90 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 शराब भट्टी** बरामद कर **07 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किए गए।